

कार्यालय कलेक्टर जिला स्तरीय समिति आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं  
आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति गरियाबंद (छ.ग.)

क्रमांक/ 282/एकलव्य/आदि.वि./2025-26

गरियाबंद, दिनांक 25/04/2025

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों हेतु अतिथि शिक्षकों (Guest Teacher) की व्यवस्था हेतु  
समाचार पत्रों में विज्ञापन हेतु प्रेस विज्ञप्ति

भारत सरकार जनजातिय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रदेश में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के संचालन हेतु गठित छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति रायपुर छ.ग. के अंतर्गत जिला गरियाबंद में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु अस्थाई रूप से मानदेय पर अध्यापन कार्य हेतु अतिथि शिक्षकों (फ़ेश अभ्यर्थी/सेवा निवृत्ति शिक्षकों) की व्यवस्था हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑफलाइन माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं।

विज्ञापन का विस्तृत विवरण जिले के वेबसाइट [gariaband.gov.in](http://gariaband.gov.in) जिला द्वारा रा जाये पर अवलोकन किया जा सकता है।

आवेदन करने संबंधी महत्त्वपूर्ण तिथियाँ

| क्र. | विवरण                    | आवेदन करने की अंतिम तिथि |
|------|--------------------------|--------------------------|
| 1    | आवेदन करने की अंतिम तिथि | 30 अप्रैल 2025           |

कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित।

प्रभारी अधिकारी/सदस्य सचिव

जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण,

आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति

जिला गरियाबंद छ.ग.

गरियाबंद, दिनांक ...../...../2025

पृ. क्रमांक/ /आदि.वि./एकलव्य/2025-26

प्रतिलिपि :-

- 1 आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2 जिला जनसम्पर्क अधिकारी, जिला गरियाबंद की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि कृपया स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करें।
- 3 जिला सूचना अधिकारी, जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) गरियाबंद को सूचनार्थ। कृपया गरियाबंद जिले के वेबसाइट में अपलोड करें।।

प्रभारी अधिकारी/सदस्य सचिव

जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण,

आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति

जिला गरियाबंद छ.ग.

**कार्यालय कलेक्टर जिला स्तरीय समिति आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं  
आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति गरियाबंद (छ.ग.)**

क्रमांक/२८३/एकलव्य/आदि.वि./2025-26

गरियाबंद, दिनांक 25/04/2025

जिला स्तरीय समिति गरियाबंद के अधीन संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025-26

**हेतु अतिथि शिक्षक की व्यवस्था हेतु मार्गदर्श सूचना प्रारूप**

भारत सरकार जनजातिय कार्य मंत्रालय द्वारा शत-प्रतिशत पोषित तथा छ.ग. राज्य राज्य आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति रायपुर द्वारा जिला गरियाबंद में जिला स्तरीय समिति के अधीन संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों हेतु शिक्षकों/कर्मचारियों की पूर्ति हेतु अस्थाई रूप से सी. बी.एस.ई. पैटर्न पर शाला संचालन हेतु शासकीय/कर्मचारियों द्वारा फ्रेश अभ्यर्थियों एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों से 'प्रतिकालखण्ड' आधार पर 'अतिथि शिक्षक' (Guest Teacher) लिया जाना है।

1. इस हेतु संस्थावार कुल विषयवार रिक्तियों की संख्या निम्नानुसार है:-

| क्र. | स्तर                                                   | विषय           | कुल पदों की संख्या |
|------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| 1    | 2                                                      | 3              | 4                  |
| 1    | टी.जी.टी. माध्यमिक स्तर<br>एकलव्य कोसमबुड़ा            | पी.ई.टी. महिला | 01                 |
| 2    | पी.जी.टी.<br>उच्चतर माध्यमिक स्तर<br>एकलव्य कोसमबुड़ा  | हिन्दी         | 01                 |
| 3    |                                                        | अंग्रेजी       | 01                 |
| 4    |                                                        | भूगोल          | 01                 |
| 5    |                                                        | अर्थशास्त्र    | 01                 |
| 6    |                                                        | इतिहास         | 01                 |
| 7    | पी.जी.टी.<br>उच्चतर माध्यमिक स्तर<br>एकलव्य देहारगुड़ा | गणित           | 01                 |
| 8    |                                                        | भूगोल          | 01                 |
| 9    |                                                        | इतिहास         | 01                 |
| 10   |                                                        | अर्थशास्त्र    | 01                 |
| 11   |                                                        | कॉमर्स         | 01                 |
|      |                                                        | राजनीति        | 01                 |

2 पदो हेतु अनिवार्य योग्यता:-

(1) टी.जी.टी. हेतु:-

- 1 न्यूनतम 50% अंको के साथ NCERT के रिजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से संबंधित विषय में 04 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स या संबंधित विषय में 50% अंको के साथ स्नातक की डिग्री हो।

| क्र. | विषय      | स्नातकोत्तर की डिग्री में विषय    |
|------|-----------|-----------------------------------|
| 1    | TGT (PET) | Physical Education में स्नातक हो। |

(3) पी.जी.टी. हेतु:-

- 1 न्यूनतम 50% अंको के साथ NCERT के रिजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से संबंधित विषय में 02 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स या संबंधित विषय में 50% अंको के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री हो।

E: hostel data /EKLAVYA\jati\eklavya

| क्र. | विषय                    | स्नातकोत्तर की डिग्री में विषय                                                                                                                                                |
|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 2                       | 3                                                                                                                                                                             |
| 1    | PGT (English)           | अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो, स्नातक स्तर पर भी अंग्रेजी विषय होना चाहिए।                                                                                   |
| 2    | PGT (Hindi)             | हिन्दी साहित्य में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो, स्नातक स्तर पर भी हिन्दी विषय होना चाहिए।                                                                                       |
| 3    | PGT (Geography)         | Geography स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो। स्नातक स्तर पर भी भूगोल विषय होना चाहिए।                                                                                                 |
| 4    | PGT (Commerce)          | Commerce with accounting/ Cost Accounting/ Financial Accounting as a major subject of study. Holders of Degree of M.Com in Applied/ Business Economics shall not be eligible. |
| 5    | PGT (Mathematics)       | Mathematics/Applied Mathematics में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो। स्नातक स्तर पर भी गणित विषय होना चाहिए।                                                                        |
| 6    | PGT (Economics)         | Economics में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो। स्नातक स्तर पर भी Economics विषय होना चाहिए।                                                                                         |
| 7    | PGT (History)           | History में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो। स्नातक स्तर पर भी History विषय होना चाहिए।                                                                                             |
|      | PGT (Political Science) | Political Science में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो। स्नातक स्तर पर भी Political Science विषय होना चाहिए।                                                                         |

2 किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.एड. या समकक्ष डिग्री हो।

वांछनीय योग्यता:-

- 1 अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण में प्रावीणता। जिसके लिए उम्मीदवार द्वारा घोषणा पत्र सत्यापित करना होगा।
- 2 शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थान में विद्यालय में शैक्षणिक कार्य करने का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव।

(5) आयु की गणना :-

फ़ेश अभ्यर्थी शिक्षक

- 1 पीजीटी और टीजीटी के लिए 01 अप्रैल 2024 की स्थिति में न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 55 वर्ष है।

6 पी.जी.टी./टी.जी.टी.. हेतु अंको का निर्धारण :-

| क्र. | योग्यता     | अंक (कुल 100 अंक)       |
|------|-------------|-------------------------|
| 1    | 12 वीं      | 20 प्रतिशत              |
| 2    | स्नातक      | 30 प्रतिशत / 50 प्रतिशत |
| 3    | स्नातकोत्तर | 50 प्रतिशत / 30 प्रतिशत |



## 5 पारिश्रमिक :-

| क्र. | पदनाम     | प्रतिकाल खण्ड | अधिकतम प्रति माह | कालखण्ड                                                                                                                                     |
|------|-----------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | पी.जी.टी. | 320/-         | 45000/-          | न्यूनतम कालखण्ड 05 एवं अधिकतम काल खण्ड 06 होगा प्रति अवधि के आधार पर अतिथि शिक्षकों का अधिकतम वेतन निम्नानुसार अधिकतम तक सीमित किया जाता है |
| 2    | टी.जी.टी. | 300/-         | 42000/-          |                                                                                                                                             |

सामान्य शर्त:-फ्रेश अभ्यर्थियो हेतु:-

- 1 अतिथि शिक्षक को गर्मी और सर्दियों की छुट्टी और शरद ऋतु की छुट्टी या लगातार 15 या अधिक दिनों के किसी अन्य अवकाश के दौरान भुगतान नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार की छुट्टी को विद्यालय से अनुपस्थित माना जाएगा और इसे बिना वेतन छुट्टी माना जाएगा।
- 2 अतिथि शिक्षकों की सेवाएँ बिना कोई कारण बताए किसी भी समय केवल 15 दिनों की पूर्व सूचना देकर समाप्त की जा सकती है।
- 3 अतिथि शिक्षकों के कार्य के घंटे नियमित शिक्षकों के समान होंगे। अतिथि शिक्षकों के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ नियमित शिक्षक/पदधारी के समान होंगी। नियमित कक्षा गतिविधि, प्रतिलिपि सुधार, निरीक्षण कर्तव्य, मूल्यांकन कर्तव्य, छात्रों को विभिन्न साहित्यिक, सह पाठ्यचार्य, खेल गतिविधि अनुरक्षण कर्तव्य, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामांकन, प्राचार्य द्वारा सौंपे गये कर्तव्यों आदि शामिल होंगे।
- 4 अतिथि शिक्षकों को आवास उपलब्ध कराया जा सकता है यदि उपलब्ध हो (व्यक्तिगत/साझा करने के आधार पर) निः शुल्क जो उन्हें अनुबंध समाप्त होने के 7 दिनों के भीतर खाली करना होगा।
- 5 एकलव्य विद्यालयों में नियमित शिक्षक/पदधारी के शामिल होने के मामले में जहां अतिथि शिक्षक कार्य कर रहा है, अतिथि शिक्षक को अन्य एकलव्य विद्यालय में तैनात किया जा सकता है, जहां उक्त रिक्ति मौजूद हो, बशर्ते अतिथि शिक्षक का प्रदर्शन संतोषजनक हो और अतिथि शिक्षक ने आवेदन पत्र में उस एकलव्य विद्यालय के विकल्प का प्रयोग किया तथापि अतिथि शिक्षकों की कमी की स्थिति में अतिथि शिक्षकों की सहमति से किसी एकलव्य विद्यालय में पदस्थापना किया जा सकता है।
- 6 अतिथि शिक्षक का नियुक्ति केवल एक शैक्षणिक वर्ष के लिए वैध रहेगा। हालांकि, अप्रत्याशित परिस्थितियों के मामले में या अतिथि शिक्षक के संतोषजनक प्रदर्शन के साथ अतिथि शिक्षक के नियुक्ति की वैधता को अगले शैक्षणिक वर्ष के एन.इ.एस.टी.एस. के पूर्व अनुमोदन से बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एकलव्य विद्यालयों में मौजूद रहेगा। अतिथि शिक्षक के साथ एक नए अनुबंध में प्रवेश करें बशर्ते कि रिक्ति अभी भी मौजूद हो।
- 7 राज्य स्तरीय समितियाँ शैक्षणिक वर्ष के लिए अतिथि शिक्षकों के पैनल बनाने की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगी।

आवेदन करने हेतु सामान्य निर्देश:-

- 1 पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। राज्य/जिला स्तरीय समिति को अधिकार होगा कि वह विज्ञापन को किसी भी समय बिना सूचना के निरस्त कर सकता है या रिक्त पदों में से पूरे या आंशिक रूप से भर्ती कर सकता है। समिति को यह भी अधिकार होगा कि वह विज्ञापन की प्रक्रिया व शर्तों को आवश्यकता होने पर बिना किसी सूचना के संशोधन या परिवर्तन कर सकता है।
- 2 आवेदन पत्र में अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण जानकारी मूल अभिलेखों त्रुटि पाये जाने पर आवेदन बिना सूचना के निरस्त कर दिया जावेगा।
- 3 विज्ञापन से संबंधित किसी भी प्रकार संशोधन/सूचना गरियाबंद जिले के वेबसाइट [gariaband.gov.in](http://gariaband.gov.in) पर अपलोड कर सूचित किया जावेगा। किसी भी प्रकार की सूचना डाक के माध्यम से आवेदक को उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।
- 4 किसी प्रकार की सिफारिश पाये जाने पर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जावेगी।
- 5 इस भर्ती के संबंध में किसी भी प्रकार का न्यायालयीन क्षेत्राधिकार छत्तीसगढ़ राज्य होगा।

अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करने की प्रक्रिया:-

- 1 विज्ञापन के पदों पर आवेदन केवल ऑफलाइन स्वीकार किया जावेगा, जो गरियाबंद जिले के वेबसाइट [gariaband.gov.in](http://gariaband.gov.in) पर उपलब्ध हैं अभ्यर्थी संस्थावार रिक्त पदों के लिए पृथक-पृथक ऑफलाइन आवेदन कर सकता है।
- 2 भेजे जाने वाले समस्त दस्तावेज की प्रतिलिपि मूल अभिलेख से मिलान कर स्व-प्रमाणित होना चाहिए।
- 3 निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप में समस्त स्व-प्रमाणित अभिलेखों के साथ एक बंद बड़े लिफाफा में सील बंद कर कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास गरियाबंद कलेक्ट्रेट परिसर कक्ष क्रमांक 56 में रजिस्टर्ड डाक से या स्पीड पोस्ट से ही भेजा जाये। भेजे जाने वाले लिफाफे के उपर स्पष्ट रूप से एकलव्य आदर्श अवासीय विद्यालयों के लिए अतिथि शिक्षक/अधीक्षक भर्ती हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2025-26 लिखा जाना अनिवार्य होगा।

आवेदन करने संबंधी महत्त्वपूर्ण तिथियाँ

| क्र. | विवरण                    | आवेदन करने की अंतिम तिथि |
|------|--------------------------|--------------------------|
| 1    | आवेदन करने की अंतिम तिथि | 30 अप्रैल 2025           |

कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित।

प्रभारी अधिकारी/सदस्य सचिव  
जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण,  
आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति  
जिला गरियाबंद छ.ग.

।। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय गरियाबंद में अतिथि शिक्षक हेतु आवेदन पत्र ।।

प्रति,

सहायक आयुक्त,  
आदिवासी विकास  
जिला-गरियाबंद (छ.ग.)

फोटो की  
अभिप्रेमाणित प्रति

विषय :- एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय गरियाबंद में अतिथि शिक्षक हेतु आवेदन पत्र ।

संदर्भ :- .....समाचार पत्र में प्रकाशित आपका विज्ञापन क्रमांक.....दिनांक .....

= 000 =

विषयांतर्गत संदर्भित विज्ञापन के संबंध में मेरा विवरण निम्नानुसार है :-

1. नाम- (हिन्दी में) :-.....  
(अंग्रेजी में) :-.....
2. पिता का नाम :-.....
3. जाति (प्रमाण-पत्र संलग्न करें) :-.....
4. वर्तमान पता/मो.नम्बर :-.....  
:-.....
5. रथाई पता/आधार सहित :-.....  
:-.....
6. क्या जिले के मूल निवासी है ? :-.....  
(प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
7. शैक्षणिक योग्यता :-प्राप्तांक.....प्रतिशत.....
8. बी.एड. में प्राप्तांक :- प्राप्तांक..... प्रतिशत.....
8. रोजगार कार्यालय का पंजीयन क्रमांक:-.....  
(जीवित प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
9. आयु (01.04.2024 को) :-वर्ष.....माह.....दिन.....

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्णतः सत्य है, एवं आवेदित अतिथि शिक्षक हेतु निर्धारित योग्यता रखता/रखती हूँ। जानकारी असत्य पाये जाने की दशा में मेरा आवेदन पत्र निरस्त की जा सकेगा तथा मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदक के हस्ताक्षर

(नाम एवं पूरा पता)